रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222194
CG-DL-E-01102020-222194

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942
No. 498] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 610(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 44कख, धारा 92ड., धारा 115 खकक की उपधारा (2) के खंड (iv), धारा 115खकख की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (iii), धारा 115खकग की उपधारा (2) के खंड (iii), उपधारा 3 का परंतुक, उपधारा (5), धारा 115खकघ की उपधारा (2) के खंड (iii), उपधारा (3) के परंतुक और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (22वां संशोधन) नियम 2020 है ।

   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है).-

   (क) नियम 5 के उप-नियम (1) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु किसी ऐसे आस्ति समूह के जो चालीस प्रतिशत से अधिक की हकदार किन्ही आस्ति समूह के अवक्षयण की बाबत धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन मोक को -

(i) ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसने धारा 115 खक की उपधारा (4) के अधीन किया या धारा 115 खकक की उपधारा (5) के अधीन या धारा 115 खकख की उपधारा (7) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ;या

(ii) किसी ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशाएं, जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ;या

(iii) भारत के निवासी ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसने धारा 115 खकघ के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, ऐसी आस्ति समूह के अवलिखित मूल्य पर चालीस प्रतिशत तक निबंन्धित किया जाएगा ;

परंतु यह और कि, धारा 115 खकक के प्रयोजनों के लिए यदि निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो जाता है, अर्थात् :-

(i) उसकी उपधारा (5) के अधीन विकल्प का 1 अप्रैल, 2020 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए प्रयोग किया जाता है ;

(ii) उसके किसी आस्ति समूह की बाबत किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से कोई ऐसा अनामेलित मोक है या धारा 72क के अधीन इस प्रकार समझा गया कोई ऐसा शेष अवक्षयण का मोक है जिसे धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) के उपबंधों के प्रति माना जा सकता है ;और

(iii) ऐसा अवक्षयण या शेष अवक्षयण के लिए मोक का उसकी उपधारा (2) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन मुजरा अनुज्ञात नहीं गया गया है,

1 अप्रैल, 2019 को आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य शेष अवक्षयण के लिए ऐसे अवक्षयण या मोक द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, जिसे मुजरा करने की अनुमति नहीं होगी

परंतु यह और भी कि धारा 115 खकग और धारा 115 खकघ के प्रयोजनों के लिए, यदि निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो जाता है, अर्थात्:-

(i) संबंधित धारा के उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग पिछले वर्ष के सुसंगत अभ्यास के लिए किया जाता है जो 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होता है;

(ii) आस्ति समूह के संबंध में अवक्षयण मोक है, जो किसी पूर्व निर्धारण वर्ष से है जो धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) से हुआ माना जा सकता है ; और

(iii) धारा 115 खकग की उपधारा (2) के खंड (ii) के उपखंड (क) या धारा 115 खकघ की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन ऐसे अवक्षयण के मुजरा करने की अनुमति नहीं है,

1 अप्रैल, 2020 को आस्ति के समूह का अवलिखित मूल्य ऐसे, अवक्षयण के द्वारा बढ़ाया जाएगा जिसका मुजरा नहीं होगा ।"

(ख) नियम 21 कच के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"धारा 115 खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग - 21कछ (1) 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब है, धारा 115 खकग की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार प्रयोग किए जाने वाला विकल्प प्ररुप संख्या 10झ ड. में होगा ।

(2) प्ररुप संख्या 10 झड. में विकल्प या तो अंकीय चिन्हक या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलैक्ट्रानिक रुप में दिया जाएगा ।

(3) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली)-

(i) प्ररुप संख्या 10-झड. के फाइल करने के लिए प्रक्रिया, विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ii) उक्त प्ररुप देने वाले व्यक्ति के सत्यापन के लिए, उप नियम (2) में निर्दिष्ट डाटा संरचना, मानक और इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के सृजन की रीति विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(iii) इस प्रकार से दिए गए प्ररुप के संबंध में सूत्रबद्ध करना और समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और नीतियों में सुधार को विरचित करने और उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

"धारा 115 खकघ की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग - 21कज (1) 1 अप्रैल, 2021 को या या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में निवासी कोई सहकारी सोसाईटी है, धारा 115 खकघ की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार प्रयोग किए जाने वाला विकल्प प्ररुप संख्या 10 झच में होगा ।

(2) प्ररुप संख्या 10 झच में विकल्प या तो अंकीय चिन्हक या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलैक्ट्रानिक रुप में दिया जाएगा ।

(3) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली)-

(i) प्ररुप संख्या 10-झड. के फाइल करने के लिए प्रक्रिया, विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ii) उक्त प्ररुप देने वाले व्यक्ति के सत्यापन के लिए, उप नियम (2) में निर्दिष्ट डाटा संरचना, मानक और इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के सृजन की रीति विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(iii) इस प्रकार से दिए गए प्ररुप के संबंध में सूत्रबद्ध करना और समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और नीतियों में सुधार को विरचित करने और उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

3. मूल नियमों की परिशिष्ट 2 में,

(क) प्ररुप संख्या 3 ग ध में,-

(i)भाग क में, क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टयों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"8क क्या निर्धारिती ने धारा 115 ख क, धारा 115 ख क क, धारा 115 ख क ख के अधीन कराधान का विकल्प लिया है ? "

(ii) भाग ख में,

(क) (I) क्रम संख्या 18 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे :-

"(गक) धारा 115ख क क के अधीन अवलिखित मूल्य के प्रति किया गया समायोजन (केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ..... ;

(गख) समायोजित अवलिखित मूल्य ..... ";

(II) क्रम सख्यां 32 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) उपलब्ध सीमा तक निम्नलिखित रीति में ली गयी अग्रिम हानि या अवक्षयण मोक के ब्यौरे :

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	हानि/ मोक की प्रकृति (रुपए में)	वापस की गई रकम (रुपए में)	धारा 115 ख क क के अधीन सभी हानियां/मोक अनुज्ञात नहीं	धारा 115 ख क क के अधीन कराधान के चयन के मद्दे अतिरिक्त अवक्षयण की वापसी द्वारा समायोजित राशि	यथा निर्धारित राशियां (सुसंगत आदेश के प्रति निर्देश देना)	टिप्पण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*यदि निर्धारित अवक्षयण कम है और अपील लंबित नहीं है तो उसका निर्धारण करें ।

केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए भरें" ;

(ख) प्ररुप संख्या 3 ग ड. ख, के भाग ग में,-

(i) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टयों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 23 और 24 को क्रमशः संख्या 22 और 23 के रुप में

पुनः क्रमांकित किया जाएगा ;

(iii) पुनःक्रमांकित क्रम संख्या 23 के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"24	धारा 115 ख क ख की उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के बीच कोई निष्पादित कारबार की प्रकृति में विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की बाबत विशिष्टियां :- क्या निर्धारिती 115 ख क ख की उपधारा (6) में निर्देशित किसी व्यक्ति के साथ, कोई विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार (संव्यवहारों) किया है जिसके परिणामस्वरुप इस तरह के कारबार में सामान्य लाभ से अधिक प्रत्याशित है ? यदि "हां" तो निम्नलिखित ब्यौरा दें :- (क) व्यक्ति का नाम जिससे विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया गया है (ख) परिमाणात्मक ब्यौरे सहित संव्यवहार के विवरण, यदि कोई हो (ग) संव्यवहार में प्राप्त/प्राप्य या संदत्त/संदेय कुल रकम— (i) लेखा बहियों के अनुसार ; (ii) निर्धारिती द्वारा यथा संगणित आसन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए । (घ) आसन्निकट कीमत को अवधारित करने के लिए प्रयुक्त रीति [धारा 92ग (1) देखें]	हां /नही ....

(ग) प्ररुप संख्या 10 झ घ के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररुप को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप संख्या -10-झ ड.

[नियम 21कछ का उपनियम (1) देखें]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 ख क ग की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन विकल्प का प्रयोग । प्रत्याहरण के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

.....

.....

महोदय/ महोदया,

मैं .....[व्यष्टि का नाम /हिंदू अविभक्त कुटुम्ब का नाम/..... [व्यष्टि हिंदू अविभक्त कर्ता का पता] की ओर से, जिसका स्थायी खाता संख्यांक (पैन)..... है, पूर्व वर्ष 20...और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकग की उपधारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग/ प्रत्याहरण करता हूं ।

2. इस प्रयोजनों के लए ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(i) व्यष्टि का नाम हिंदू अविभक्त कुटुम्ब :

(ii) क्या व्यष्टि / हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के पास कारबार या व्यापार से शीर्ष लाभ या अभिलाभों के अधीन कोई आय है: हां/नही

(iii) पैन :

(iv) पता :

(v) जन्म की तारीख / निगमन : दिन/मास/वर्ष

(vi) कारबार / वृत्ति की प्रकृति :

3 (i) क्या व्यष्टि / अविभक्त हिंदू कुटुम्ब के पास धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आई एफ एस सी) में कोई इकाई है : हां/ नहीं

(ii) यदि (i) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें (इकाइयों की संख्या के आधार पर स्तंभों को जोड़ा जा सकता है) ।

	इकाई 1	इकाई 2	इकाई 3
(1)	(2)	(3)	(4)
इकाई का नाम			
इकाई का पता			
इकाई में किए गए क्रियाकलापों की प्रकृति			

4. (i) क्या कोई पूर्वतर पूर्व वर्ष/ वर्षों के लिए प्ररुप झ ड. में धारा 115 ख क ग की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है और अब उसे प्रत्याद्द्त किया है । (ऐसे मामलों में एक्टिवेट किया जाएगा जहां वापसी का विकल्प प्रयोग किया गया है : हां नहीं

(ii) यदि हां, तो पूर्व वर्ष में कौन सा विकल्प प्रयुक्त हुआ था: 20.....-20...

(iii) तारीख, जिस पर प्ररुप 10-झ ड. में विकल्प : दिन/मास/वर्ष प्रयुक्त हुआ था :

5. मैं समझता हूं कि किसी पूर्व वर्ष में धारा 115 ख क ग की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन विकल्प एक बार प्रयोग किए जाने पर उसी पूर्व वर्ष के लिए उसका प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता है और तत्पश्चात् धारा 115 खकग के अधीन उसकी उपधारा (5) के प्रस्तुत के निबंन्धनों के विकल्प के प्रयोग के लिए मुझे/ व्यष्टि /हिंदू अविभक्त कुटुंब को अयोग्य कर दिए जाने पर किसी अन्य पूर्व वर्ष के लिए केवल एक बार उसका प्रत्याहरण किया जा सकता है ।

6. मैं यह और प्रतिज्ञात करता हूं कि धारा 115 ख क ग में दी गई शर्तों का मेरे / व्यष्टि / हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा समाधान कर लिया है और कर लिया जाएगा (ऐसे मामले में एक्टिवेट किया जाएगा जहां विकल्प का प्रयोग किया गया है)

*हटा दें, जहं कहीं लागू नहीं होता है ।

स्थान :

तारीख :

भवदीय

व्यष्टि/हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता /प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

टिप्पण : यह प्ररुप व्यष्टि/हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता /प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

प्ररुप संख्या 10 –झच

[[नियम 21 क ज का उपनियम (1) देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 खकघ के उपनियम (5) के अधीन विकल्प के प्रयोग के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

.....

.....

महोदय/ महोदया,

मैं .....[धारा 115 खकघकी उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने वाले सहकारी सोसाइटी का नाम और रजिस्ट्रीकृत पता)..... की ओर से जिसका स्थायी खाता संख्या (पैन).....है, पूर्व वर्ष..... और पश्चात्वर्ती वर्ष 20.....और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकघ की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प प्रयोग करता हूं ।

2. सहकारी समिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(i) सहकारी समिति का नाम :

(ii) क्या निवासी सहकारी समिति है : हां /नहीं

(iii) पैन :

(iv) रजिस्ट्रीकृत पता :

(v) निगमन की तारीख : दिन /मास /वर्ष

(vi) क्रियाकलापो की प्रकृति :

3 (i) क्या सहकारी समिति के पास धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आई एफ एस सी) में कोई इकाई है ? : हां /नहीं

(ii) यदि (i) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरा दे: (इकाइयों की संख्या के आधार पर स्तंभों को जोड़ा जा सकता है ।

	इकाई 1	इकाई 2	इकाई 3
इकाई का नाम			
इकाई का पता			
इकाई में लिए गए क्रियाकलापों की प्रकृति			

5. मैं समझता हूं कि धारा 115 खकघ की उपधारा (5) के अधीन किसी पूर्व वर्ष के लिए विकल्प का एक बार प्रयोग किए जाने पर, उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष के लिए पश्चात्वर्ती प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता है ।

6. मैं आगे यह प्रतिज्ञा करता हूं कि धारा 115 ख क घ की उपधारा (5) में बताई गई शर्तों और उपरोक्त सहकारी समिति द्वारा संतुष्ट होउंगा ।

स्थान

तारीख

भवदीय

प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

टिप्पण : इस प्ररुप में प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होगें" ;

(घ) निर्धारण वर्ष 2020-21 से संबंधित आयकर की विविरणी, प्ररुप 6 में,-

(i) डी पी एम अनुसूची में,-

(I) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3क	कराधान धारा 115 ख क क के चयन के कारण समायोजित रकम				
3ख	पूर्व वर्ष (3) + (3क) पूर्व वर्ष के पहले दिन को समायोजित अवलिखित मूल्य";				

(II) क्रम संख्यां 5 में निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5	"3ख या 4 से परे पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली";				

(III) क्रम संख्यां 6 में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञात है (3ख+ 4 -5) (शून्य प्रविष्ट करें, यदि परिणाम नकारात्मक है)";				

(IV) क्रम संख्यां 20 में निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ और हानि (5+8- 3ख -4 -7-19 (केवल नकारात्मक प्रविष्ट				

	करे, यदि ब्लाक अस्तित्व में नहीं रह गया है";				

(ii) सी एफ एल अनुसूची में, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची सी एफ एल	**भविष्य के वर्षों में हानि के ब्यौरे अग्रनीत होंगे ।**																			
हानि को अग्रनीत करना	क्रम सं..	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/ वर्ष)	गृह सम्पत्ति की हानि	पी टी आई गृह सम्पत्ति की हानि	कुल गृह संम्पत्ति की हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से हानि के अतिरिक्त कारबार से हानि			सट्टे के कारोबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारोबार से हानि	जीवन बीमा कारोबार से हानि	अल्पकालनिक पूंजी हानि			दीर्घकालिक पूंजी हानि			दौड़ के घोड़ों को रखने और देख रेख से हानि
							कारबार की हानि को आगे लाना	कराधान धारा 115 ख क क के लिए लेखा पर यथा समायोजित रकम का चयन	नर्ष के दौरान मुजरा के लिए उपलब्ध आगे लायी गई कारबर हानि				समान्य	पी टी आई	कुल	सामान्य	पी टी आई	कुल	
	1	2	3	4क	4ख	4ग	5क	5ख	5ग=5क-5ख	6	7	8	9क	9ख	9ग=9क+9ख	10क	10ख	10ग	11	
	I	2010-11																		
	Ii	2011-12																		
	iii	2012-13																		
	iv	2013-14																		
	v	2014-15																		
	vi	2015-16																		
	vii	2016-17																		
	viii	2017-18																		
	ix	2018-19																		
	x	2019-20																		
	xi	पूर्वत्तर वर्ष में हुई कुल हानि																		

	xii	धारित इकाई के बीच वितरित हानि (केवल विनिधान निधि के लिए लागू)													
	xiii	पूर्वतर वर्ष ख/च की कुल उपलब्ध अतिशेष													
	xiv	अनुसूची खचठक में उपरोक्त हानियों का समायोजन			*(अनुसूची खचठक का 2i)*		*(अनुसूची खचठक का 2ii)*	*(अनुसूची खचठक का 2iv)*	*(अनुसूची खचठक का 2v)*	*(अनुसूची खचठक का 2iii*					*((अनुसूची खचठक का 2xiv)*
	xv	**2020-21** (वर्तमान वर्ष की हानियां अगनीत होंगी)			**(**अनूसूची गमठक का *2xvi*		*(अनूसूची गमठक का 3xvi)*	अनुसूची खत का ख48 (यदि नकारात्मक है*)*	अनुसूची खत का ग54, (यदि नकारात्मक है)	अनुसूची खत का ङ (*iv),* (यदि नकारात्मक है)		अनुसूची गछ का मद ङ का *(2x+3x +4x+5x*		अनुसूची गछ का मद ङ का *(6x+7x+8+x)*	अनुसूची णध का 8ङ, यदि नकारात्मक है।
	xvi	भविष्य के वर्षों में कुल हानियों का अग्रनयन													
	xvii	इकाई धारकों के बीचवर्तमान वर्ष की हानि का वितरण)**";**													

(iii) अनुसूची पघ के लिये निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"अनुसूची पघ	धारा 35(4) के अधीन आमेलित अवक्षयन औप मोक							
क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा **35(4)** के अधीन मोक		
		आगे लाया गया अमेलित अवक्षयण की रकम	कराधान धारा 115 खकक के लिए खाते में यथा समायोजित रकम का चयन	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध अवक्षयण की रकम का मुजरा	अतिशेष अगले वर्ष के लिए अग्रनीत	आगे लाई गई अमेलित मोक की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मोक की रकम का मुजरा	अतिशेष अगले वर्ष के लिए अग्रनीत

(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv	कुल".							

अधिसूचना संख्यांक 82/2020 [फा.सं.. 370142/30/2020-टी पी एल]

अंकित जैन, अवर सचिव, (कर नीति और विधायन खंड)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक 574 (अ) तारीख 22 सितंबर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।